अध्याय–VI

निष्कर्ष

अध्याय – VI
निष्कर्ष

उच्च शिक्षा में राजस्थान का सकल नामांकन अनुपात 2010 के बाद से ही राष्ट्रीय औसत से कम है और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच इसकी रैंकिंग 20 (2010-11) से 23 (2018-19) तक घट गई। आगे, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के अनुसार राज्य में संचालित कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में सम्मिलित नहीं था। इस पृष्ठभूमि में, राज्य में उच्च शिक्षा तंत्र में परिणामों की एक निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित करने का निर्णय लिया गया। लेखापरीक्षा ने विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद उच्च शिक्षा परिणामों को 'रोजगार क्षमता एवं उच्च अध्ययन के लिए प्रगमन में वृद्धि', 'प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं और उच्च गुणवत्ता के शोध के माध्यम से समाज में योगदान' और 'सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए समान पहुंच' के रूप में परिभाषित किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रोजगार/उच्च अध्ययन के लिए छात्र प्रगमन और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों के रखरखाव की प्रणाली उच्च शिक्षा तंत्र के सभी स्तरों पर या तो कमजोर थी या पूर्णतया गैर-मौजूद थी, जिसके कारण पहले परिणामों के संकेतकों का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। रोजगार सुविधा सेवा तंत्र या तो अकार्यशील या गैर-मौजूद था, जिससे छात्रों को रोजगार पाने और आवश्यक कैरियर विकल्पों को अपनाने में आवश्यक सहायता से वंचित होना पड़ा। बहुत कम रोजगार क्षमता/उद्यमिता केंद्रित कोर्स शुरू किए गए और नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में से किसी ने भी 2018-19 के दौरान फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप से जुड़े कोर्सों पर बल नहीं दिया और उद्योग-शैक्षिक जुड़ाव स्थापित करने के प्रयास नहीं किए, इस प्रकार, छात्रों को विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने और रोजगार के लिए तैयार होने के अवसरों से वंचित किया गया। 77 प्रतिशत से भी अधिक छात्रों ने प्रथम श्रेणी/ग्रेड बी + से कम अंकों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर में कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम के डिजाईन/संशोधन से पहले हितधारकों से फीडबैक प्राप्त नहीं किए, और जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने 2012 में अपनी स्थापना के बाद से ही पाठ्यक्रम/सिलेबस को संशोधित नहीं किया था। 2018-19 के दौरान चूंकि विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) को केवल जेएनवीयू, जोधपुर और कुछ संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों के कुछ कार्यक्रमों में प्रारंभ किया गया था और सेमेस्टर प्रणाली नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और कुछ ही राजकीय महाविद्यालयों में केवल स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए प्रारंभ की गई थी परिणामस्वरूप छात्र न तो संबंधित कार्यक्रमों के कोर्सों में नामांकित हो सके और न ही उनका निरंतर आकलन हुआ, इससे शैक्षणिक लचीलेपन पर प्रतिकूल प्रभाव पडा।

आईसीटी सुविधाओं की उपलब्धता कमजोर थी और नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों द्वारा आईसीटी शिक्षण उपकरणों का बहुत कम उपयोग करने का आशय यह हुआ कि शिक्षण के तरीकों में बहुत सुधार की आवश्यकता थी।

उच्च छात्र शिक्षक अनुपात, नमूना जांच किए गए 30 में से 19 निजी महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों (45.71 प्रतिशत) में निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अहर्ता का अभाव, शिक्षकों का अपर्याप्त और अनियमित व्यावसयिक विकास दर्शाता है कि नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की उपलब्धता और गुणवत्ता अपर्याप्त थी और इसका शिक्षण-अधिगम की खराब गुणवत्ता में योगदान हो सकता है ।

जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा में मूल्यांकन प्रणालियां परिचालानात्मक और निगरानी की अपर्याप्तता से ग्रस्त थी, क्योंकि 2017-19 के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के बाद जेएनवीयू, जोधपुर में 96 प्रतिशत, जीजीटीयू, बांसवाड़ा में 68 प्रतिशत और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में 26 प्रतिशत छात्रों के अंक परिवर्तित हो गए थे।

शोध गतिविधियों के संचालन में नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों का प्रदर्शन निराशाजनक था। इनमें से कोई भी 2014-19 के दौरान किए गए शोध परियोजनाओं से ठोस परिणाम का उत्पादन करने में सक्षम नहीं था । 2014-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर केवल 39 प्रतिशत शोध परियोजनाएं पूरी कर सका और पूर्ण की गई शोध परियोजनाओं के परिणामस्वरूप कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया गया। जेएनवीयू, जोधपुर में, स्वीकृत सभी 14 शोध परियोजनाएं अपूर्ण थी । आगे, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में पीएचडी छात्रों की 72 थीसिस पर्यवेक्षकों के पास मूल्यांकन/परीक्षण के लिए 12 वर्षों तक की देरी से लंबित थी ।

यद्यपि राजस्थान के सकल नामांकन अनुपात में पिछले नौ वर्षों में मामूली बढ़ोतरी हुई है, यह लगातार राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से कम रहा है। तथापि, 2018-19 के दौरान, राजस्थान ने महाविद्यालयों की संख्या और महाविद्यालय घनत्व के संदर्भ में अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया। यह दो तथ्य उच्च शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता में क्षेत्रवार विषमता और नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना में योजना की कमी को उजागर करते हैं । 2014-19 के दौरान राजस्थान में एससी और एसटी दोनों के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई लेकिन राजस्थान सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजन जैसे वर्गों के सकल नामांकन अनुपात के आंकड़े संधारित नहीं किए। राजस्थान के सभी वर्गों के लैंगिक समानता सूचकांक 2018-19 में अखिल भारतीय औसत से मेल खाते हैं। सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ सभी नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यशील नहीं थे। बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में अपर्याप्त थी और रैंप को छोड़कर, सभी नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजन अनुकूल बुनियादी ढाँचा अनुपस्थित था। विज्ञान और वाणिज्य की तुलना में कला स्ट्रीम कोर्स की पेशकश करने वाले राजकीय महाविद्यालयों की संख्या असमानुपातिक रूप से अधिक थी ।

राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ ने न तो उन महाविद्यालयों के आंकडें संधारित किए जिन्होंने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन किया था और ना ही उनकी निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित किया। राज्य में नैक प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थिति निराशाजनक थी क्योंकि जनवरी 2020 तक पात्र उच्च शिक्षण संस्थान का केवल 6.04 प्रतिशत ही नैक प्रत्यायन प्राप्त थे । सभी नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में 2014-19 के दौरान

सीनेट, सिंडिकेट/प्रबंधक मंडल और शैक्षणिक परिषद् की निर्धारित बैठकें नहीं हुईं थीं। नमूना जांच किए गए 45 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थानों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ गठित थे, तथापि वे कार्यशील नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने उच्च शिक्षा में परिणामों को प्राप्त करने में तीन चयनित विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन निर्धारित संकेतकों के आधार पर किया। इस तथ्य के बावजूद कि ये संकेतक नैक प्रत्यायन प्रक्रिया का हिस्सा थे, नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों ने या तो इन संकेतकों को मापने के लिए वांछित सूचना संधारित नहीं की थी या जहां भी इनका संधारण किया गया था उनका प्रदर्शन कई संकेतकों के तहत खराब था।

इस लेखापरीक्षा के दौरान राजस्थान में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था अभी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को अपनाने के लिए तैयार नहीं है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा समयबद्ध तरीके से ठोस तथा संकेन्द्रित प्रयास किए जाने की आवश्यकता होगी।

अनादि मिश्र

जयपुर,
07 अप्रैल, 2021

(अनादि मिश्र)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-I), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
08 अप्रैल, 2021

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक– महालेखापरीक्षक